संख्या- 2/2017/3200/33-3-2016-10 जी.आई./2015

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मंडलायुक्त, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, मेरठ, मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, एवं आजमगढ़।
2. जिलाधिकारी, जनपद हाथरस, फिरोजाबाद, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, कौशाम्बी, अमेठी, कुशीनगर।
3. मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उपरोक्त सम्बन्धित जनपद।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी 2017

विषय : राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अन्तर्गत जनपद पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित शासनादेश संख्या-1813/33-3-2016-10जी.आई./2015, दिनांक 12 जुलाई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनान्तर्गत जिला/ मण्डल पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) की स्थापना हेतु (18 मण्डल एवं 25 जनपद स्तरीय रिसोर्स) स्थल चयन सम्बन्धी आदेश निर्गत किए गए थे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत प्रेषित 43 डी.पी.आर.सी. के निर्माण प्रस्ताव के सापेक्ष 25 डी.पी.आर.सी. के संचालन पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के प्रथम चरण में 10 जनपदों यथा- आजमगढ़, अमेठी, हाथरस, फिरोजाबाद, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, कोशाम्बी एवं कुशीनगर में 10 डी.पी.आर.सी. के निर्माण हेतु प्रति सेंटरवार दो करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त के सम्बन्ध में आर0जी0पी0एस0ए0/आर0जी0एस0ए0 योजनान्तर्गत प्रदेश में जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटरों (डी0पी0आर0सी0) के निर्माण के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

http://shasnadeshup.nic.in

- जनपद पंचायत रिसोर्स सेंटरों का निर्माण मंडलायुक्त की अध्यक्षता में दिनांक दिसम्बर, 2106 द्वारा गठित 'मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति' के मार्गदर्शन में कराया जाएगा। इस प्रकार से निर्मित होने वाले सेंटर, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 की विस्तारित इकाई के रूप में कार्य करेंगें।
- अंकित जनपदों में सरकारी भूमि की उपलब्धता, डी0पी0आर0सी0 के सम्बंध में दिनांक 12 जुलाई, 2016 के शासनादेश के अनुरूप सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित् की जाएगी।
- डी0पी0आर0सी0 के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था जिला पंचायत, संबंधित जनपद होगी। जिसके लिए कार्यदायी संस्था को पृथक से धनराशि अवुमक्त की जाएगी।
- कार्यदायी संस्था को निर्माण हेतु भुगतान 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा किया जाएगा। अग्रिम 60 प्रतिशत भुगतान के 50 प्रतिशत उपभोग के पश्चात् ही अवशेष 40 प्रतिशत का भुगतान के कार्यदायी संस्था को किया जाएगा। कार्यदायी संस्था समय-समय पर कार्यप्रगति के साथ -साथ कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को उपलब्ध कराएगी।
- 'मण्डलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति' डी0पी0आर0सी0 निर्माण अवधि में निर्माण कार्यो की गुणवत्ता भी सुनिश्चित् करने हेतु उत्तरदायी होगी एवं समिति की संस्तुति के उपरान्त ही द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को जारी की जायेगी।

अत: उक्त रूप से निर्गत निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही कराते हुए समस्त 10 मंडलीय जनपदों में सरकारी भूमि की उपलब्धता की सूचना पूर्व प्रेषित् प्रारूप पर एक सप्ताह में निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक- तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2- मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।

http://shasnadeshup.nic.in

4- निदेशक, पचांयती राज विभाग, उ0प्र0।

5- निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, उ0प्र0।

6- जिला पंचायत कार्यदायी संस्था, संबंधित जनपद।

7- समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0 पत्रांकित मंडल के अतिरिक्त।

8- समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।

10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।

11- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत संबंधित जनपद।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadeshup.nic.in